शोध सारांश

प्रस्तावना :—

वर्तमान युग में विज्ञान एवं तकनीकी के बढ़ते कदम 21वीं सदी के आगमन का भारत में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के समागम के साथ, स्वागत कर रही हैं। नई शिक्षा नीति जिसे 29 जुलाई, 2020 को भारत के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्वालिटी, इक्वीटी, एसेंस — गुणवत्ता, समानता एवं सुलभ पहुँच पर बल दिया गया। समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा मिल सकें।

समाज में सामान्य एवं दिव्यांग बालक/बालिकाएँ पाएँ जाते हैं। सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बालक/बालिकाओं को संविधान के द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, सम्मान व सुरक्षा देना सुनिश्चित किया गया है। सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं आकांक्षा स्तर एवं व्यक्तित्व के समायोजन का वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान हैं। सामान्य बालक अपने बुनियादी प्राथमिक कार्य करने में शारीरिक रूप समर्थ होते है। इसके विपरित दिव्यांग बालक/बालिकाएँ शारीरिक कमी के कारण अपने दैनिक जीवन के सामान्य कार्य करने में भी समर्थ नहीं होते और उन्हें अपने दैनिक कार्यों को संपादित करने हेतु भी दूसरों की सहायता सहयोग की आवश्यकता होती है। सामान्य एवं दिव्यांग माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि आकांक्षा स्तर एवं व्यक्तित्व समायोजन का विस्तार से अध्ययन कर नई दिशा प्रदान करने के क्रम में वर्तमान में आवश्यक हैं। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की आयु सांवेगिक उद्धिगन्ता युक्त आयु होती हैं। इस आयु तक बालक वैयक्तिक विकास के मोड़ पर खड़ा होता है। इसी के साथ उसकी आदतों का भी लगभग विकास हो चुका होता हैं। चाहे वे ग्रामीण परिवेश से हो या शहरी परिवेश से लेकिन उनकी निष्पत्ति का समायोजन समान नहीं होता अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, आकांक्षा, व्यक्तित्व समायोजन की दशा अर्द्धवार्षिक परिणामों के आधार पर देखी जा सकती हैं। श्रीकृष्ण भगवान के भी आठ आत्मिक बाल सखा थे जिनमें सामान्य एवं दिव्यांग बाल सखा थे।

लोक, अर्जुन, ऋषभ, सुबल, श्रीदामा, विशाल और भोज इसके अलावा मधुमंगल श्रीकृष्ण के ऐसे सखा थे जो गोकुल में रहते थे।

शोध की आवश्यकता :–

समाज में सभी वर्गों के बालक/बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं आकांक्षा स्तर व व्यक्तित्व का समायोजन का अध्ययन करने के लिए शोधकत्री के मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उठे सामान्य एवं दिव्यांग बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता हैं। सामान्य एवं दिव्यांग बालक/बालिकाओं का आकांक्षा स्तर कैसे जाना जा सकता है साथ ही उनके व्यक्तित्व का समायोजन राष्ट्र के विकास के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है एवं सामान्य बालको के दिव्यांग बालको का भी समायोजन किस प्रकार किया जा सकता हैं। जिससे सामान्य बालकों के साथ दिव्यांग बालक, बालिकाएँ भी शिक्षा, चिकित्सा, सम्मान, सुरक्षा के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सके व राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकें।

इस प्रकार शोधकत्री के मस्तिष्क में अनेकों प्रश्न कौंधते रहे। जिनसे शोध प्रबंध का जन्म हुआ। शोधकत्री को आवश्यकता महसूस हुई कि सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, आकांक्षा स्तर एवं व्यक्तित्व समायोजन का अध्ययन किया जाना चाहिए? इस हेतु शोधकत्री ने निम्न समस्या का चयन किया।

समस्या कथन :–

सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं आकांक्षा स्तर एवं व्यक्तित्व समायोजन का अध्ययन (जयपुर जिले के संदर्भ में)

शोध के उद्देश्य :–

प्रत्येक व्यक्ति किसी कार्य को करता है उसका कुछ न कुछ उद्देश्य निहित होता है। उद्देश्य के बिना वह कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. जयपुर जिले के माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करना।
2. जयपुर जिले के माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों का व्यावसायिक आकांक्षा स्तर ज्ञात करना।
3. जयपुर जिले के माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के व्यक्तित्व समायोजन का अध्ययन करना।
4. जयपुर जिले के माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग, ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. जयपुर जिले के माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग, ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. जयपुर जिले के माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग, ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व समयोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
7. जयपुर जिले के माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग छात्र/छात्राओं की शैक्षिक उपलब्ध एवं आकांक्षा स्तर एवं व्यक्तित्व समायोजन का अध्ययन कर सुझाव देना।

जयपुर जिले की भौगोलिक स्थिति :–

राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर भारत का पेरिस तथा गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर अपने बेजोड़ नगर नियोजन के लिए विश्वविख्यात है। जयपुर जिले की आकृति चतुर्भुजाकार है।

जयपुर जिला राजस्थान के पूर्वी भाग में 26.23° से 27.51° उत्तरी अक्षांश एवं 75.55° से 76.50° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके पूर्व में अलवर, दौसा व सवाई माधोपुर जिले हैं, पश्चिम में नागौर व अजमेर जिले हैं, उत्तर में सीकर व हरियाणा का महेन्द्रगढ़ तथा दक्षिण में टोंक जिला है।

जयपुर जिले को पुनर्गठित कर जयपुर ग्रामीण जिले की स्थापना 7 अगस्त, 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई। इस प्रकार जयपुर जिला जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण दो भागों में विभक्त हो गया। जयपुर ग्रामीण में 13 उपखण्ड व 18 तहसीलें रखी गई है।

कछवाह वंश के **महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय** द्वारा जयपुर की स्थापना 18 नवम्बर, 1727 में की गई थी। जयपुर नगर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय के मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक प्रख्यात बंगाली **विद्याधर भट्टाचार्य** थे। उन्हीं के निर्देशन में जयपुर नगर का मानचित्र बनाकर जयपुर नगर की सुनियोजित संरचना की गई थी।

जयपुर का पूर्व नाम जय नगर था। जयपुर को भारत का पेरिस, दूसरा वृन्दावन, गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। 1863 में **प्रिन्स एलबर्ट** के जयपुर आगमन पर **जयपुर नरेश सवाई रामसिंह द्वितीय (1835–80)** ने जयपुर को सभी इमारतों पर गुलाबी रंग करवाया था, तभी से इस नगर को **गुलाबी नगर (Pink-City)** के नाम से जाना जाता है।

शोध की परिकल्पनायें :–

अनुसंधान के क्षेत्र में परिकल्पना एक पूर्व चिन्तन या पूर्व विचार है अर्थात् परिकल्पना एक अनुमान है जिसे अस्थायी रूप से किन्हीं परीक्षण की दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया जाता है। इससे अन्वेषक को अग्र पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है। परिकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक उददेश्यहीन प्रक्रिया है। परिकल्पना एक अस्थायी रूप से न माना हुआ कथन है और इसे नए सत्य की खोज के लिए आधार बनाया जा सकता है। यह एक धारणा एवं तर्कपूर्ण वाक्य है। जिससे वैधता की परीक्षा ली जाती है। अपने मूल रूप में परिकल्पना एक अनुमान अथवा कल्पनात्मक विचार हो सकता है। जो आगे के अनुसंधान के लिए आधार बनता है।

वास्तव में **टाउन्मृसैण्ड** ने ठीक ही कहा है "परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया हुआ उत्तर है क्योंकि अनुसंधान का प्रारम्भ किसी न किसी समस्या से होता है अतः अनुसंधान समस्या कथन के पश्चात् परिकल्पनाओं के निर्माण का क्रम आता है।"

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में शोध अध्ययन को संपादित करने हेतु निम्न शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है–

सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सामान्य एवं दिव्यांग छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

सामान्य एवं दिव्यांग छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शहरी क्षेत्र के सामान्य विद्यार्थियों व शहरी क्षेत्र के दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक सार्थक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य विद्यार्थियों व ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण :–

प्रस्तुत अध्ययन में सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए स्वयं निर्मित शैक्षिक उपलब्धि प्राप्तांक संग्रह प्रपत्र का प्रयोग किया गया है।

Personality adjustment Inventory By Dr. C. Prakash Sharma

मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के व्यक्तित्व समायोजन को जानने के लिए डॉ. सी. प्रकाश शर्मा की व्यक्तित्व समायोजन आविष्कारिका (P.A.I.) का प्रयोग किया गया है।

Occuptional Aspiration Scale by Dr. A.K. Srivastava

व्यावसायिक आकाक्षा के अध्ययन के लिए डॉ. ए.के. श्रीवास्तव द्वारा निर्मित व्यावसायिक आकाक्षा मापनी का प्रयोग किया गया है।

शोध की विधि एवं प्रकृति :–

ज्ञानार्जन के यद्यपि अनेक आध्यात्मिक एवं वास्तविक, भौतिक एवं अभौतिक तथा संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्रोत हो सकते हैं किन्तु शोध द्वारा ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन तर्क का प्रयोग है। तर्क का प्रयोग निगमन और आगमन आधार पर किया जा सकता है निगमन आधार पर तर्क का क्रम "सामान्य से विशिष्ट की ओर" रहता है। जबकि आगमन आधार पर तर्क का क्रम "विशिष्ट से सामान्य की ओर रहता है। प्रस्तुत अनुसंधान में आगमन विधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध में "जयपुर जिले के मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को अध्ययन में शामिल किया गया है" व निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं निष्कर्षो की सम्पुष्टि एवं सामान्यीकरण हेतु सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत अनुसंधान विश्लेषात्मक प्रकृति का सर्वेक्षण आधारित सूक्ष्म अनुसंधान है। इसके अंतर्गत जयपुर जिले के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 430 सामान्य तथा 170 दिव्यांग विद्यार्थियों के अविष्कारिका तथा आकांक्षा स्तर को श्रीवास्तव द्वारा निर्मित मापनी तथा शैक्षिक उपलब्धि को स्वनिर्मित उपलब्धि परीक्षण के आधार पर सर्वेक्षण करके ज्ञात किया गया है। सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समंक निर्मित किये गये हैं तथा अनुसंधान के उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं के अनुरूप उन्हें वर्गीकृत एवं सारणीबद्ध करके उपयुक्त सांख्यिकीय तकनीकों जैसे माध्य प्रतिशत, प्रमाप विचलन, टी–परीक्षण आदि के द्वारा मूक समंकों को भाषा प्रदान करके निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं।

समग्र (जनसंख्या) :–

'समग्र', 'समष्टि' या 'जनसंख्या अनुसंधान के लिये निर्धारित यह समस्त क्षेत्र है जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है। प्रस्तुत अनुसंधान में जनसंख्या से अभिप्राय के जयपुर सम्भाग अंतर्गत आने वाले जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के समस्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कला वर्ग में कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों से है।

शोध अध्ययन का परिसीमन :–

प्रस्तुत अध्ययन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, व्यवसायिक आकांक्षा स्तर एवं व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थी ही अनुसंधान में विषय हैं। अनुसंधानकत्री ने केवल जयपुर जिले के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को अपने अध्ययन में शामिल किया है।

प्रस्तुत अध्ययन में समयाल्पता एवं संसाधनों की सीमितता को देखते हुए इस अध्ययन हेतु 600 विद्यार्थियों जिनमें 430 सामान्य तथा 170 दिव्यांग विद्यार्थियों को ही सम्मिलित किया गया है। न्यादर्श के विश्लेषण हेतु पुनः लिंग एवं निवास क्षेत्र के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है।

शोध का निष्कर्ष :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन में "सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, आकांक्षा स्तर एवं व्यक्तित्व समायोजन का अध्ययन" (जयपुर जिले के संदर्भ में) किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में जयपुर जिले के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 व 10 के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के व्यक्तित्व समायोजन, आकांक्षा स्तर तथा शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में 430 सामान्य तथा 170 दिव्यांग विद्यार्थियों का चयन दैव निर्देशन विधि द्वारा किया गया है। संग्रहीत समंकों के वर्गीकरण के पश्चात् शून्य परिकल्पना के परीक्षण हेतु सांख्यिकी प्रक्रिया के उपरांत उनका विश्लेषण एवं व्याख्या चतुर्थ अध्याय में की गई। संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या के पश्चात् जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। वे निम्न प्रकार हैं।

शैक्षिक उपलब्धि संबंधी निष्कर्ष

अ. सामान्य विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष

ब. माध्यों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष

स. परिकल्पना परीक्षण के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष

शोध के सुझाव :–

1. दिव्यांगो के लिए अलग से विद्यालय स्थापित करने के बजाय उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। ताकि वे बेहतर समायोजन स्थापित कर सकें।
2. माता–पिता को अपने दिव्यांग बच्चों के साथ भेद–भाव नहीं करना चाहिए।
3. दिव्यांगता को रोकने के लिए माता–पिता को अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलानी चाहिए।
4. दिव्यांगो के समायोजन के स्वरूप को ज्ञात करके विद्यालयों में उनके अच्छे समायोजन हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए।
5. दिव्यांगो की शिक्षा को रोजगारपरक बनाना चाहिए।
6. दिव्यांगो को शिक्षा के अतिरिक्त इनके लिए ड्रेस, पाठयपुस्तके आदि की व्यवस्था भी विद्यालय की ओर से की जानी चाहिए।
7. दिव्यांगो को सरकार की ओर छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए।
8. सरकार को चाहिए कि वह प्रचार तन्त्र के माध्यम से मूक–बधिर तथा अन्य प्रकार के शारीरिक दोषों से युक्त दिव्यांगो के विकास के लिए विभिन्न प्रचार तन्त्रों का सहारा लेकर दिव्यांगो के कारणों तथा उनके बचाव के विषय में जागरूकता पैदा करें।
9. सरकार को चाहिए कि यह नेत्रहीनों को कृत्रिम पठन सामग्री, श्रवणहीनों को उत्तम यंत्र, उत्तम बैसाखिया एवं व्हील चेयर पर्याप्त संख्या में प्रदान करे।

10. भारत में गैर–सरकारी संगठन क्षेत्र (एन.जी.ओ.) दिव्यांगो की देखभाल कर रह रहे है। इसे सरकार बनाम एन.जी.ओ. के रूप में नहीं देखना चाहिए। दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए।

11. जिन कक्षाओं में दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ते हो उन कक्षाओं को भूमि तल पर ही लगाना चाहिए।

12. गंभर और जटिल रूप से दिव्यांग बच्चों को केवल विशेष विद्यालयों में ही आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

13. सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को प्रवेश देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना बेहतर होगा कि वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके पास आवश्यक साजो–समान, प्रशिक्षित जनशक्ति, शिक्षण सामग्री और दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम उपलब्ध है। अतः सरकार को सामान्य विद्यालयों में दिव्यांगो के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए।

14. दिव्यांगो के लिए सुलभ भौतिक परिवेश उपलब्ध कराया जाएँ।

15. दिव्यांगो के सुगम्य आने–जाने के लिए सभी सार्वजनिक भवनों में रैम्प की व्यवस्था की जानी चाहिए।

16. दिव्यांगो के लिए सुगम्य वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।

17. दिव्यांगो के लिए सुगम्य शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए।

18. लिफ्ट में बेल संकेतक और श्रव्य सिग्नल लगाए जाने चाहिए।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम :–

दिव्यांग विद्यार्थियों को निम्नलिखित सहायता तथा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

(1) अस्थि दिव्यांग बालकों के लिए –

- समायोजित फर्नीचर जिसका आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभव हो।

- विशिष्ट लेखन सामग्री जैसे मोटे लेखन पेन।
- कृत्रिम अंग (हाथ, पैर)
- पहिये वाली कुर्सी (व्हील चेयर), मोटर चेयर, वैशाखी आदि।

(2) दृष्टि दिव्यांग बालकों के लिए –

- ब्रेल स्लेट और पत्र
- ब्रेल पुस्तकें
- बुलेटिन बोर्ड
- समतल डेस्क
- टेलर फर्म
- ध्वनियुक्त कैसेट, बोलने वाली पुस्तकें
- उभरी हुई पंक्तियों वाली ग्राफशीट, रबड़ के छल्ले तथा पिन लगे हुए
- टेक्सटाइल मानचित्र
- ठोस वस्तुओं जिनके द्वारा वस्तुओं के विभिन्न आकार, मोटाई, वजन, ढलवा सतह, गिनती के अंक आदि।

(3) आंशिक दृष्टि दिव्यांग अथवा कम देख पाने वाले बालकों के लिए –

- उत्तल लेंस (छोटे अक्षरों/शब्दों को बड़ा देखने के लिए)
- चश्मा
- पढ़ने के लिए विस्थापन सुविधायुक्त लेम्प
- श्वते बोर्ड (श्यामपट्ट नहीं)
- मोटे छापे की पठन सामग्री।

(4) श्रवण दिव्यांग बालक के लिए –

- श्रवण यंत्र (समूह श्रवण यंत्र एवं व्यक्तिगत श्रवण यंत्र)
- वाणी प्रशिक्षक
- दर्पण (छोटा और बड़ा)

- विशिष्ट अधिगम सामग्री जैसे फ्लैश कार्ड, शैक्षणिक खेल, खिलौने आदि
- शिक्षण कक्ष–अनुदेशन हाथों से तैयार

(5) मानसिक दिव्यांग एवं अधिगम असमर्थी बालक के लिए –

- शैक्षणिक खेल तथा क्रीडा सामग्री
- विभिन्न प्रत्यय शिक्षण हेतु विभिन्न आकृतियों के ठोस पदार्थ
- चित्रों के कार्ड तथा विभिन्न प्रकार के चित्र
- दिन, दिनांक तथा माह वाले कैलेन्डर
- टूल बोम
- इन्द्रिय समायोजन तथा अनुकूलन के लिये सहायक सामग्री
- सामान्य अधिगम सहायक सामग्री

शोध की भावी संकल्पनायें :–

व्यक्ति के सामने कभी–कभी इस प्रकार की परिस्थितियाँ उपस्थित हो जाती हैं कि यह चाहते हुए भी अपेक्षानुसार कार्य को संपादित करने में असमर्थ रहता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में भी शोधकत्री समय, श्रम एवं साधनों की सीमितता के कारण अध्ययन से सम्बन्धित सीमित क्षेत्र के विद्यार्थियों पर ही अध्ययन कर सकी। अतः इसमे कुछ कमियाँ रह गयी हैं। जिनकी पूर्ति हेतु निम्नलिखित सुझाव है –

1. प्रस्तुत लघु शोध के अन्तर्गत शोधकत्री ने केवल जयपुर जिले के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को ही सर्वेक्षण का विषय बनाया है। भविष्य में विभिन्न जिलों तथा प्रदेश स्तर पर भी शोध संपादित किया जा सकता है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य में कुल 430 सामान्य एवं 170 दिव्यांग विद्यार्थियों पर ही सर्वेक्षण किया गया है। भविष्य में अनुसंधान करने वाले अनुसंधानकर्त्ता

विस्तृत रूप से अधिक विद्यार्थियों को अपने अध्ययन का विषय बना सकते हैं।

3. प्रस्तुत शोध कार्य में केवल माध्यमिक स्तर के सामान्य तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को लिया गया है। भविष्य में इसे माध्यमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों पर संपादित किया जा सकता है।

4. प्रस्तुत शोध में शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को अध्ययन का विषय बनाया गया है। भविष्य में अन्य जैसे मूक–बधिर तथा मानसिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को लिया जा सकता है।

5. प्रस्तुत अध्ययन में तीन चरों व्यक्तित्व समायोजन, व्यवसायिक आकांक्षा तथा शैक्षिक उपलब्धि को लिया गया है। भविष्य में अधिक चरों को लिया जा सकता है अथवा किसी एक चर पर गहन अध्ययन किया जा सकता है।

6. प्रस्तुत शोध कार्य में केवल मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को लिया गया है। भविष्य में शोधकत्री स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को भी न्यादर्श के रूप में चुन सकती हैं।

7. प्रस्तुत शोध कार्य में राजस्थान के मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सामान्य एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को लिया गया है।

शोध की शैक्षिक उपयोगिता :–

बालकों के व्यक्तित्व समायोजन, व्यवसाय चयन एवं शैक्षिक उपलब्धियों का प्रभाव उनके भावी जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालकों को ज्ञान प्रदान करके उन्हें शिक्षित बनाती है साथ ही साथ वह उन्हें समायोजन एवं भावी व्यवसाय के चयन के लिए भी तैयार करती है। शिक्षा के द्वारा ही उनमें नागरिकता के गुणों एवं उचित मूल्यों का विकास होता है। आज का बालक ही कल के देश का निर्माता है। बालक में शारीरिक रूप से दोष युक्त होने पर हीनता की भावना का विकास हो जाता है, जो स्वयं उसके तथा राष्ट्र दोनों के

लिए ही हानिकारक है। दिव्यांग बालकों का यह भी अधिकार हैं– कि वह भी अपने व्यक्तित्व का विकास करके उचित व्यवसाय का चयन करें जिससे कि वह अपना तथा अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों का भरण–पोषण करने के लिए आत्मनिर्भर बने। इसके साथ–साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ भी सामान्य बालको के समान हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि स्वस्थ समाज उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाये।

शोध के निष्कर्ष :–

इस शोध अध्ययन के निष्कर्षो में पाया गया, कि दिव्यांगो का व्यक्तित्व समायोजन, आकांक्षा स्तर तथा शैक्षिक उपलब्धि उनकी दिव्यांगता के कारण प्रभावित था। दिव्यांग हमारे समाज के ही अभिन्न अंग है यदि उनको सामान्य बालकों के समान व्यवहार तथा सहानुभूति मिले तथा उनकी भावनाओं को पहचाना जाये तो निःसन्देह दिव्यांग बालक समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं।

प्रत्येक समाज मे महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है यदि समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का स्तर निम्न होगा तो सम्पूर्ण समाज इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। अतः सामान्य छात्राओं की अपेक्षा दिव्यांग छात्राओं की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि वे अपने आपको असुरक्षित महसूस न करे।

दिव्यांगो के समायोजन, व्यवसाय चयन तथा शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्धी समस्याओं को जानने के उद्देश्य से वर्तमान शोध निष्कर्ष विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगें। क्योंकि अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दिव्यांगो के समायोजन, व्यवसाय चयन के स्वरूप तथा शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात करके उनके अच्छे समायोजन, उचित व्यवसाय चयन तथा शैक्षिक उपलब्धि हेतु उपयुक्त प्रशासन, प्रधानाचार्य आदि उचित वातावरण प्रदान कर सकते है। इस अध्ययन द्वारा इस बात को बल मिला है कि दिव्यांगो के व्यक्तित्व समायोजन, व्यवसाय चयन एवं शैक्षिक

उपलब्धि में विद्यालय महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः आवश्यक है कि विद्यालय में उत्तम एवं स्वस्थ वातावरण बनाये रखने का प्रयास किया जाये।

इसके लिए दिव्यांगो के प्रति कैसा व्यवहार किया जाये तथा उन्हें किस प्रकार प्रोत्साहन दिया जाये, उनकी शिक्षा हेतु पाठयक्रम में किस प्रकार संशोधन किया जाये इत्यादि बातों को ध्यान में रखा जाये तो दिव्यांगो को समाज में ठीक प्रकार से समायोजित किया जा सकता है।

वैसे तो रोजगार प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह पैसा और आर्थिक स्वतन्त्रता तो प्रदान करता ही है बल्कि आत्म–सम्मान भी बढ़ाता है।

दिव्यांग व्यक्ति के लिए यह इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि दिव्यांगता आमतौर पर समाज में अभिशाप मानी जाती है और इससे विकलांग व्यक्ति की कार्य क्षमता का हास होता है, उसके आत्म–सम्मान में और सामाजिक समानता में बाधक हो जाता है। दिव्यांगो को रोजगारपरक शिक्षा इसलिए भी आवश्यक है कि यह लोग समाज पर बोझ बनने के बजाय समाज के लिए आर्थिक योगदान कर सकें।

सामान्य विद्यार्थियों की भाँति दिव्यांग भी शैक्षिक उपलब्धि के स्तर को प्राप्त कर सकें और सामान्य विद्यार्थियों के समान जीवन जी सकें। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यक कदम उठाये।

दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालयों की ओर से ड्रेसे, पाठयपुस्तकें आदि प्रदान करनी चाहिए। दिव्यांगो को सरकार की ओर से छात्रवृत्तियाँ तथा आवश्यक उपकरण (जैसे– बेहतर बैसाखियों, कैलीपर, मुड़कर बन्द हो सकने वाली व्हील चेयर उम्दा श्रवण यन्त्र, नेत्रहीनों के लिए कम्प्यूटर से जुड़ा वायस सिन्थेसाइजर, बुक स्कैनर आदि) भी प्रदान किये जायें। इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिए कि वह जनसंचार के माध्यमों द्वारा दिव्यांगता के कारणों व बचाव के विषय में जागरूकता पैदा करें ताकि भविष्य में पैदा होने वाली जनसंख्या के एक बड़े भाग को दिव्यांग होने से बचाया जा सके। दिव्यांगता का एक अन्य प्रमुख कारण वर्तमान

समय मे यातायात व्यवस्थायें भी हैं। अतः यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाया जाएँ एवं दिव्यांगता को कम करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए।

इनके अतिरिक्त अध्यापको का सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति उनकी समस्या समाधान व उन्हें व्यवसाय चुनने में सहायता प्रदान करेगा। दिव्यांगों के माता–पिता/अभिभावक, शिक्षक एवं समाज के प्रत्येक वर्ग का यह कर्त्तव्य है कि शिक्षा को भविष्योन्मुखी बनाने के उद्देश्य से, दिव्यांगो को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पाठयक्रम का निर्माण करें जिससे कि वे पढ़ाई का बोझ महसूस न करें तथा शिक्षित होकर राष्ट्र के विकास में अपना समुचित योगदान कर सकें।